



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03062021-227346  
CG-DL-E-03062021-227346

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1986]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 3, 2021/ज्येष्ठ 13, 1943

No. 1986]

NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 3, 2021/JYAISTHA 13, 1943

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय  
(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 जून, 2021

का.आ. 2143 (अ).— यतः, मै. गीगाप्लेक्स एस्टेट प्राईवेट लिमिटेड, एक निजी संगठन, ने महाराष्ट्र राज्य के प्लॉट सं. आईटी-5 एमआईडीसी नोलेज पार्क, ग्राम एरोली एवं दिघे, जिला थाने में सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाओं के लिए एक क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक जोन की स्थापना हेतु विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28) (जिसे एतद्पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 के अंतर्गत प्रस्ताव किया था;

और यतः, केन्द्र सरकार ने विशेष आर्थिक जोन नियम 2006 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित क्षेत्रों को विशेष आर्थिक जोन के रूप में अधिसूचित किया था, जिनका विवरण इस प्रकार है;

क्रम सं.	अधिसूचना संख्या	अधिसूचना दिनांक	अधिसूचित क्षेत्र हेक्टेयर में	कुल योग हेक्टेयर में
(i)	का.आ. 1695(अ)	11.06.2013	11.74	11.74
(ii)	का.आ. 595(अ)	18.02.2015	1.170	12.91
(iii)	का.आ. 3535(अ)	30.10.2017	3.61	16.52

और यतः, मै. गीगाप्लेक्स एस्टेट प्राईवेट लिमिटेड ने अब उपरोक्त विशेष आर्थिक जोन से 8.57 हेक्टेयर के क्षेत्र को अनधिसूचित तथा उपरोक्त विशेष आर्थिक जोन में 0.09 हेक्टेयर के अतिरिक्त क्षेत्र को अधिसूचित करने का प्रस्ताव किया है;

और यतः, महाराष्ट्र सरकार ने उनके पत्र सं. एसईजेड-2009/सीआर-247/इन्ड-2 दिनांक 13 जनवरी, 2021 के तहत प्रस्ताव को सहमति दे दी है;

और यतः, विकास आयुक्त, सीपज़, एसईजेड ने विशेष आर्थिक जोन के 8.57 हेक्टेयर के क्षेत्र को अनधिसूचित तथा उपरोक्त विशेष आर्थिक जोन में 0.09 हेक्टेयर को अधिसूचित करने के प्रस्ताव की संस्तुति की है;

और यतः, केन्द्र सरकार इस बात से संतुष्ट है कि अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (8) के अंतर्गत अपेक्षाओं तथा अन्य सम्बंधित अपेक्षाओं को पूरा कर लिया गया है, अतः केन्द्र सरकार ने प्रस्ताव को दिनांक 30 मई, 2021 को स्वीकृती प्रदान की थी;

अतः अब, विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 की धारा 4 की उप-धारा (1) के दूसरे परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2006 के नियम 8 के अनुसरण में केन्द्र सरकार एतद्वारा 8.57 हेक्टेयर के क्षेत्र को अनधिसूचित तथा 0.09 हेक्टेयर के क्षेत्र को अधिसूचित करती है, जिसके परिमाणतः कुल क्षेत्रफल 8.04 हेक्टेयर हो जाएगा, जिसमें निम्नलिखित तालिका में उल्लेखित सर्वेक्षण संख्याएँ और क्षेत्र शामिल हैं, अर्थात्:-

**अनधिसूचित तथा अतिरिक्त अधिसूचित क्षेत्र हेतु तालिका**

क्रम. सं.	गाँव का नाम	सर्वेक्षण संख्या	अनधिसूचित क्षेत्र (हेक्टेयर में)	अतिरिक्त अधिसूचित क्षेत्र (हेक्टेयर में)
1.	एरोली	145 (भाग)	1.356	0.09
2.		146 (भाग)	5.442	-
3.		147 (भाग)	0.656	-
4.		148 (भाग)	0.334	-
5.		149 (भाग)	0.331	-
6.		153 (भाग)	0.249	-
7.	दिघे	208 (भाग)	0.202	-
<b>कुल</b>			<b>8.57</b>	<b>0.09</b>
<b>उपयुक्त घटाव एवं जोड़ के पश्चात् एसईजेड का कुल क्षेत्रफल</b>			<b>8.04</b>	

[फा. सं. एफ.1/5/2011-एसईजेड]

अमिताभ कुमार, संयुक्त सचिव

**MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**

(Department of Commerce)

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 1st June, 2021

**S.O. 2143 (E).**—Whereas, M/s. Gigaplex Estate Private Limited, a private organization, had proposed under Section 3 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005), (hereinafter referred to as the said Act), to set up a sector specific Special Economic Zone for Information Technology and Information Technology Enabled Services at Plot No.IT-5, Airoli Knowledge Park-TTC Industrial Area, Villages Airoli and Dighe, District Thane in the State of Maharashtra;

AND, WHEREAS, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the said Act read with rule 8 of the Special Economic Zones Rules 2006, had notified the following areas at above Special Economic Zone as per the details given below: -

S. No.	Notification No.	Notification Date	Notified Area in Hectares	Total Area in Hectares
(i)	S.O. 1695 (E)	11.06.2013	11.74	11.74
(ii)	S.O. 595 (E)	18.02.2015	1.170	12.91
(iii)	S.O. 3535 (E)	30.10.2017	3.61	<b>16.52</b>

AND WHEREAS, M/s. Gigaplex Estate Private Limited, has now proposed for de-notification of 8.57 hectare and additional area notification of 0.09 hectare at the above Special Economic Zone;

AND, WHEREAS, the State Government of Maharashtra has given its approval to the proposal vide letter No. SEZ-2009/ CR-247/ Ind-2 dated 13<sup>th</sup> January, 2021;

AND, WHEREAS, the Development Commissioner, SEEPZ, SEZ has recommended the proposal for de-notification of an area of 8.57 hectare and addition of an area of 0.09 hectare at the Special Economic Zone;

AND, WHEREAS, the Central Government is satisfied that the requirements under sub-section (8) of section 3 of the said Act and other related requirements are fulfilled and therefore, has granted approval on 30<sup>th</sup> May, 2021;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by second proviso to sub-section (1) of section 4 of the Special Economic Zones Act, 2005 and in pursuance of rule 8 of the Special Economic Zones Rules, 2006, the Central Government hereby de-notifies an area of 8.57 hectare and notifies an area of 0.09 hectare, thereby making the resultant area as 8.04 hectare, comprising the Survey numbers and the areas given below in the table, namely: -

**TABLE FOR DE-NOTIFICATION AND ADDITION AREA**

S. No.	Name of Village	Survey No.	Area for De-notification (in hectares)	Area for Addition (in hectares)
8.	Airoli	145 (Pt.)	1.356	0.09
9.		146 (Pt.)	5.442	-
10.		147 (Pt.)	0.656	-
11.		148 (Pt.)	0.334	-
12.		149 (Pt.)	0.331	-
13.		153 (Pt.)	0.249	-
14.	Dighe	208 (Pt.)	0.202	-
<b>Total</b>			<b>8.57</b>	<b>0.09</b>
<b>Grant total area of SEZ after above de-notification and addition</b>			<b>8.04</b>	

[F. No. F.1/5/2011-SEZ]

AMITABH KUMAR, Jt. Secy